Revision of Electoral Bolls

2119. SHRr AJ IT KUMAR SHARMA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether the revision 01 elsiAo-ral rolls in the different States and Territories of India has been completed[1]

(b) whether Government have decided. the dates for the next general elections to the Lok Sabha; and

(c) whether . the "electoral rolls of Assam are being revised on the basis of the 1971 electoral rolls?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): (a) Election Commission has intimated that the revision of electoral rolls in all States and Union territories except the State cf As^am and a few constituencies in Jammu and Kashmir with reference to 1-1-1981 as the qualifying date has since been completed.

(b) No, Sir

(c) The Commission addressed the Governme-i. of Assam for ascertaining whether the State Government would be able to undertake revision of the rolls in the entire State by taking 1971 electoral rolls as the basic document and bringing them up-to-date. The Commission has int.unat«H that it is awaiting the reply of the State Government in '.he matter.

पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

2120. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जातियों, आदिवासों, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगनाथ कौशल) : पटना उच्च न्यायालय में इस समय 34 न्यायाधीश पदासीन है। उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कोई भी न्यायाधीश अनुसूचित जाति या आदिवासी समुदाय का नहीं है, पांच न्यायाधीश अल्पसंख्यक समुदाय के है और एक न्यायाधीश पिछड़े वर्ग का है।

रानी झांसी रोड़ पर स्टील का सामान बनाने वाली कम्पनियों के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न किया जाना

2121. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के (झण्डेवालान) रानी झांसी रोड पर स्टील का सामान बनाने वाली कई कम्पनियां ने अपने मजदूरों को श्रम कानून के तहत मजदूरी का भुगतान नहीं किया है/भुगतान नहीं कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन मालिकों द्वारा श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जाता है उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी है. उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है। जैसे ही वह प्राप्त होगी, वैसे ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।